प्रकाशन हेतु अनुमोदित

<u>छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर</u>

युगल-पीठ : माननीय श्री न्यायमूर्ति सुनील कुमार सिन्हा एवं

माननीय श्री न्यायमूर्ति राधे श्याम शर्मा

रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 1599/2011

जितेन्द्र कुमार लाल

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

(संबद्ध रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 1790, 1791, 1792 एवं 1793 /2011)

आदेश विचारार्थ प्रस्तुत ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/–

सुनील कुमार सिन्हा

न्यायाधीश

माननीय श्री न्यायमूर्ति राधे श्याम शर्मा

सही/–

राधे श्याम शर्मा

न्यायाधीश

आदेश हेतु सुचीबद्ध करें : 09/09/2011

सही-

न्यायाधीश

दिनांक : 08/09/2011

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

युगल-पीठ : माननीय श्री न्यायमूर्ति सुनील कुमार सिन्हा एवं

माननीय श्री न्यायमूर्ति राधे श्याम शर्मा, न्यायाधीशगण

रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 1599 सन् 2011

याचिकाकर्ता : जितेन्द्र कुमार लाल

बनाम

उत्तरवादी : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 1790 सन् 2011

याचिकाकर्ता : प्रवीण कुमार निशी

बनाम

उत्तरवादी : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 1791 सन् 2011

याचिकाकर्ता : संतोष कुमार तिवारी

बनाम

उत्तरवादी : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 1792 सन् 2011

याचिकाकर्ता : बलबीर सिंह

बनाम

उत्तरवादी : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 1793 सन् 2011

याचिकाकर्ता : गिरधारी लाल गुप्ता

बनाम

उत्तरवादी : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के अंतर्गत दायर रिट याचिकाएँ

दिनांक : 08/09/2011रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 1599, 1790, 1791, 1792 एवं 1793 / 2011

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उपस्थिति :

श्री आर. के. गुप्ता, अधिवक्ता – याचिकाकर्ताओं की ओर से।

श्री ए. एस. कच्छवाहा, उप महाधिवक्ता – राज्य एवं राज्य के अन्य प्राधिकारियों की ओर से।

श्री अभिषेक सिन्हा, अधिवक्ता – हस्तक्षेपकर्ता/उत्तरवादी क्रमांक 8 की ओर से (रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 1599/2011 में)।

आदेश

(09.09.2011)

न्यायालय का निम्न आदेश माननीय श्री न्यायमूर्ति सुनील कुमार सिन्हा द्वारा पारित किया गया—

(1) चूँकि इन रिट याचिकाओं में तथ्य एवं विधि से संबंधित समान प्रश्न उठाए गए हैं, अतः इन सभी का निस्तारण इस साझा आदेश द्वारा किया जा रहा है।

(2) कलेक्टर (आबकारी), जिला कोरिया, छत्तीसगढ़ द्वारा दिनांक 15.02.2011 को एक विज्ञापन जारी किया गया, जिसके माध्यम से वर्ष 2011-2012 के लिए जिला कोरिया में 19 समूहों के अंतर्गत 33 मदिरा दुकानों के लिए अनुज्ञा प्रदान किए जाने हेतु आवेदन आमंत्रित किए गए। याचिकाकर्ता मदिरा दुकानों के संचालन हेतु अनुज्ञा प्राप्त करने के इच्छुक थे, अतः उन्होंने दिनांक 15.02.2011 के उक्त विज्ञापन के अनुसार निर्धारित प्रपत्रों में विभिन्न समूहों के लिए अपने-अपने आवेदन प्रस्तुत किए। रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 1599/2011 के याचिकाकर्ता ने समूह क्रमांक 5 (मनेंद्रगढ़), समूह क्रमांक 6 (झगराखांड) एवं समूह क्रमांक 10 (नागपुर) की मदिरा दुकानों हेतु आवेदन प्रस्तुत किए; रिट याचिका (नागरिक) क्रमांक 1790/2011 के याचिकाकर्ता ने समूह क्रमांक 9 (जनकपुर) हेतु आवेदन प्रस्तुत किया;

रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 1791/2011 के याचिकाकर्ता ने समूह क्रमांक 5 (मनेंद्रगढ़) एवं समूह क्रमांक 18 (बरटुंगा) हेतु आवेदन प्रस्तुत किए;

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 1792/2011 के याचिकाकर्ता ने समूह क्रमांक 5 (मनेंद्रगढ़), समूह क्रमांक 6 (झगराखांड), समूह ... (आगे का पाठ उपलब्ध नहीं)।रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 1599; 1790; 1791; 1792 एवं 1793 सन् 2011 याचिकाकर्ता क्रमांक 1599/2011 ने समूह क्रमांक 7 खोंगापानी एवं समूह क्रमांक 10 नागपुर के लिए आवेदन प्रस्तुत किया था; इसी प्रकार रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 1793/2011 के याचिकाकर्ता ने समूह क्रमांक 5 मनेंद्रगढ़, समूह क्रमांक 6 झगराखांड तथा समूह क्रमांक 16–कोरिया ब्लॉक के लिए आवेदन प्रस्तुत किए थे। दिनांक 28.2.2011 को शाम 5.30 बजे तक आवेदन प्राप्त किए गए। यह विवादित नहीं है कि सभी याचिकाकर्ताओं ने अपने-अपने संबंधित समूहों के लिए आवेदन प्रस्तुत किए थे। विभिन्न समूहों के विरुद्ध प्राप्त आवेदनों का एक तुलनात्मक चार्ट दिनांक 28.2.2011 को तैयार किया गया। उत्तरवादियों के अनुसार, विभिन्न समूहों की मदिरा दुकानों के आवंटन हेतु कुल 5441 आवेदन प्राप्त हुए थे। दिनांक 28.2.2011 को तैयार किया गया चार्ट प्रत्येक समूह के लिए प्राप्त आवेदन प्रपत्रों की संख्या दर्शाता है। जांच (स्क्रूटिनी) के उपरांत दिनांक 3.3.2011 का एक अन्य तुलनात्मक चार्ट तैयार किया गया। उक्त चार्ट में समूह क्रमांक 4 पांडोपारा, समूह क्रमांक 5 मनेंद्रगढ़, समूह क्रमांक 6 झगराखांड, समूह क्रमांक मोहान कॉलोनी तथा समूह क्रमांक 16 बरटुंगा के विरुद्ध प्राप्त आवेदनों की संख्या भिन्न पाई गई। याचिकाकर्ताओं का मामला यह है कि विभिन्न समूह क्रमांकों के विरुद्ध आवेदन प्रपत्रों की कुल संख्या में अंतर, आबकारी विभाग के अधिकारियों द्वारा चुने गए मदिरा ठेकेदारों के साथ मिलकर की गई हेरफेर का परिणाम है, जिनके पक्ष में बाद में विभिन्न समूहों की दुकानें आवंटित की गईं। इन्हीं आधारों पर तथा कथित मनमानी एवं दुर्भावना (मलाफाइड्स) के आधार पर

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

याचिकाकर्ताओं ने दिनांक 15.3.2011 को आयोजित लॉटरी ड्रॉ के परिणामों को निरस्त करने तथा समूह क्रमांक 10 नागपुर, समूह क्रमांक 12 कोरिया ब्लॉक एवं समूह क्रमांक 18 से संबंधित संपूर्ण चयन प्रक्रिया को निरस्त करने की प्रार्थना की है।रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 1599; 1790; 1791; 1792 एवं 1793 सन् 2011 वे समूह, जिनमें दो तुलनात्मक चार्टों के अवलोकन से प्राप्त आवेदन प्रपत्रों की संख्या में अंतर निर्धारित किया गया है।

(3) राज्य एवं उसके प्राधिकारियों का यह कहना है कि विभिन्न समूहों के आवेदनों को प्राप्त करने हेतु अलग-अलग काउंटर खोले गए थे। विभिन्न काउंटरों पर कुल 5441 आवेदन प्राप्त हुए थे। दिनांक 28.2.2011 को तैयार किया गया चार्ट विभिन्न समूहों के अलग-अलग काउंटरों पर प्राप्त आवेदनों की संख्या के आधार पर बनाया गया था। तथापि, जब दिनांक 1.3.2011 को विभिन्न काउंटरों पर प्राप्त आवेदनों की जांच (स्क्रूटिनी) की गई, तब यह पाया गया कि अनेक आवेदकों ने अपने आवेदन उन काउंटरों पर जमा कर दिए थे, जो अन्य समूहों के लिए निर्धारित थे। इसके पश्चात कुल 5441 आवेदन प्रपत्रों की समूह-वार जांच की गई और दिनांक 3.3.2011 का अंतिम चार्ट तैयार किया गया, जिसमें प्रत्येक समूह के लिए प्राप्त आवेदनों की कुल संख्या दर्शाई गई। इसी कारण दिनांक 28.2.2011 एवं 3.3.2011 को तैयार किए गए दोनों चार्टों में प्रत्येक समूह के लिए प्राप्त आवेदनों की संख्या में भिन्नता दिखाई देती है। तथापि, दोनों चार्टों में आवेदन प्रपत्रों की कुल संख्या समान है। अतः हेरफेर, मनमानी एवं अवैधता से संबंधित आरोप असत्य एवं निराधार हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(4) आगे यह भी कहा गया कि जब इस संबंध में याचिकाकर्ताओं में से एक, अर्थात् जितेन्द्र कुमार लाल, द्वारा शिकायत प्राप्त हुई, तब कलेक्टर (आबकारी) कोरिया, बैकुंठपुर ने

याचिकाकर्ता/शिकायतकर्ता को बुलाया और जिला आबकारी अधिकारी की उपस्थिति में, जो सभी अभिलेख लेकर उपस्थित हुए थे, जांच की तथा यह निष्कर्ष दर्ज किया कि अंतर ...रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 1599; 1790; 1791; 1792 एवं 1793 सन् 2011 दो चार्टों में विभिन्न समूहों के विरुद्ध दर्शाए गए आवेदनों की संख्या में अंतर, गलत काउंटर पर आवेदन जमा किए जाने के कारण था। यह पाया गया कि जब आवेदनों की जांच आवेदन में उल्लिखित समूह संख्या एवं समूह के नाम के आधार पर की गई, तब उक्त त्रुटि को सुधार लिया गया और दिनांक 3.3.2011 का सही जांच (स्क्रूटिनी) चार्ट तैयार कर संबंधित प्राधिकारियों को भेजा गया। कलेक्टर ने जांच के उपरांत यह निष्कर्ष दर्ज किया कि प्रपत्रों की जांच एवं प्रसंस्करण में कोई भी अवैधता नहीं की गई है। जांच कार्यवाही की आदेश-पत्रों की प्रतिलिपि परिशिष्ट–आर/4 के रूप में प्रस्तुत की गई है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(5) याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री आर. के. गुप्ता ने बहस के दौरान समान आधार उठाए। उन्होंने हमें दो चार्टों की ओर संकेत किया–एक दिनांक 28.2.2011 को तैयार किया गया तथा दूसरा दिनांक 3.3.2011 को। उनका तर्क था कि विभिन्न समूहों के विरुद्ध प्राप्त आवेदनों की संख्या में अंतर हेरफेर का परिणाम है, अतः लॉटरी प्रणाली द्वारा किया गया संपूर्ण आवंटन निरस्त किया जाना चाहिए।

(6) राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान उप महाधिवक्ता श्री ए. एस. कच्छवाहा ने तर्क दिया कि कोई हेरफेर नहीं किया गया है; लिखित शिकायत के माध्यम से लगाए गए आरोपों की जांच जिला कलेक्टर द्वारा की गई, जिसमें आरोप प्रमाणित नहीं पाए गए; प्राप्त प्रपत्रों की कुल संख्या में कोई परिवर्तन नहीं

है; आवेदन वैधानिक प्रारूप में प्रस्तुत किए गए हैं, जिनमें समूह संख्या एवं समूह का नाम अंकित है। सभी आवेदन प्रपत्र अभी भी प्रतिवादियों के पास उपलब्ध हैं। वेरिट याचिका (सिविल) क्रमांक 1599; 1790; 1791; 1792 एवं 1793 सन् 2011 मामले की जांच की गई। अंतिम जांच (स्क्रूटिनी) आवेदकों द्वारा आवेदन पत्रों में भरे गए समूह क्रमांक तथा समूह के नाम के आधार पर की गई। आवेदन पत्रों की विषय-वस्तु में किसी प्रकार की हेरफेर का कोई आरोप नहीं है, इसलिए ये याचिकाएँ खारिज किए जाने योग्य हैं।

(7) रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 1599/2011 में प्रतिवादियों में से एक की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री अभिषेक सिन्हा ने राज्य की ओर से प्रस्तुत विद्वान अधिवक्ता के तर्कों का समर्थन किया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(8) हमने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को विस्तार से सुना तथा रिट याचिकाओं से संबंधित अभिलेखों का भी अवलोकन किया।

(9) हेरफेर के संबंध में कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता। कथित हेरफेर को ठोस साक्ष्यों द्वारा सिद्ध किया जाना आवश्यक है। यदि प्रत्येक समूह के विरुद्ध प्राप्त आवेदन पत्रों की कुल संख्या में दो चार्टों के बीच अंतर का समुचित स्पष्टीकरण दे दिया गया है, तो हेरफेर से संबंधित आरोप स्वतः समाप्त हो जाते हैं।

(10) राज्य के उत्तरवादियों का यह कहना है कि प्रत्येक समूह के लिए अलग-अलग बनाए गए काउंटरों पर कुल 5441 आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे। दिन के प्रारंभिक समय में काउंटरों पर जमा किए गए आवेदनों की संख्या कम थी, जबकि अंतिम समय में बहुत अधिक संख्या में आवेदन काउंटरों पर जमा

किए गए। चूँकि समूह-वार तुलनात्मक चार्ट तुरंत जारी किया जाना था, इसलिए बिना जांच किए, प्रत्येक काउंटर पर प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या के आधार पर दिनांक 28.2.2011 का चार्ट तैयार किया गया।रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 1599; 1790; 1791; 1792 एवं 1793 सन् 2011 इसके पश्चात दिनांक 1.3.2011 को जांच (स्क्रूटिनी) की गई और जांच के बाद, प्रत्येक आवेदन पत्र की विषय-वस्तु के आधार पर आवेदन पत्रों को समूह-वार वर्गीकृत किया गया तथा दिनांक 3.3.2011 का सही चार्ट प्रकाशित किया गया, जिसमें प्रत्येक समूह के विरुद्ध प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या में अंतर दर्शाया गया था। अभिलेखों से यह स्पष्ट होता है कि जब याचिकाकर्ताओं में से एक द्वारा शिकायत की गई, तब कलेक्टर ने दिनांक 5.3.2011 को उस शिकायत का संज्ञान लिया और जिला आबकारी अधिकारी तथा याचिकाकर्ता/शिकायतकर्ता—जितेन्द्र कुमार लाल—को नोटिस जारी कर दिनांक 7.3.2011 को अपने-अपने दावे प्रस्तुत करने हेतु उपस्थित होने के लिए बुलाया। याचिकाकर्ता/शिकायतकर्ता दिनांक 7.3.2011 को कलेक्टर के समक्ष उपस्थित हुआ। जिला आबकारी अधिकारी भी समस्त अभिलेखों के साथ कलेक्टर के समक्ष उपस्थित हुए। कलेक्टर ने अभिलेखों की जांच की और यह निष्कर्ष दर्ज किया कि दिनांक 28.2.2011 का प्रथम चार्ट गलत रूप से तैयार किया गया था तथा दिनांक 3.3.2011 का द्वितीय चार्ट सही था। उन्हें याचिकाकर्ता जितेन्द्र कुमार लाल द्वारा की गई शिकायत में कोई दम नहीं मिला और इस प्रकार शिकायत का निपटारा कर दिया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(11) दुकानों के आवंटन की प्रणाली यह है कि प्रत्येक समूह के लिए आवेदन पत्र प्राप्त होने के बाद, सभी आवेदन पत्रों को आपस में मिला दिया जाता है और उसके पश्चात यादृच्छिक लॉटरी ड्रॉ के

आधार पर अनुज्ञाधारियों का चयन किया जाता है। यदि याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत किए गए आवेदन पत्र उन आवेदन पत्रों में सम्मिलित थे, जिन पर लॉटरी ड्रॉ किया गया, तो याचिकाकर्ताओं को कोई वैध शिकायत नहीं हो सकती। अभिलेख पर ऐसा कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है कि याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत किए गए आवेदन पत्ररिट याचिका (सिविल) क्रमांक 1599; 1790; 1791; 1792 एवं 1793 सन् 2011याचिकाकर्ताओं के आवेदन पत्र लॉटरी ड्रॉ में शामिल नहीं किए गए हों, ऐसा कोई प्रमाण नहीं है। यदि याचिकाकर्ताओं के आवेदन पत्र संबंधित लॉटरी ड्रॉ में शामिल थे, तो दिनांक 28.2.2011 के चार्ट में सही संख्या अंकित करने में हुई मात्र त्रुटि से याचिकाकर्ताओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि ऐसी स्थिति में वर्गीकरण में हुई गलती के कारण उत्पन्न अंतर कभी भी याचिकाकर्ताओं के अधिकारों के लिए प्रतिकूल नहीं हो सकता।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(12) यह ऐसा मामला नहीं है जिसमें याचिकाकर्ताओं ने यह आरोप लगाया हो कि उनके आवेदन पत्रों की विषय-वस्तु में हेरफेर किया गया और इस प्रकार प्रक्रिया दूषित हुई अथवा वे उससे प्रभावित हुए। हम यह भी देखते हैं कि आवेदन पत्र निर्धारित वैधानिक प्रारूप में ही प्रस्तुत किए जाने थे। इस वैधानिक प्रारूप में विभिन्न कॉलम होते हैं तथा जिला का नाम एवं समूह क्रमांक उल्लेखित करने हेतु एक विशेष कॉलम निर्धारित है। सुविधा के लिए वैधानिक आवेदन पत्र का प्रासंगिक अंश (जो विज्ञापन में भी मुद्रित था) नीचे दर्शाया जा रहा हैः—

आवेदन क्रमांक : _____

वर्ष 2011–2012 के लिए जिले की देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों के समूह

(समूह का क्रमांक एवं नाम) के लाइसेंस हेतु आवेदन पत्र

आवेदक/आवेदिका का नाम : _____

पिता/पति का नाम : _____

आयु (वर्ष में) : _____रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 1599; 1790; 1791; 1792 एवं 1793 सन् 2011

(अंकों में) (शब्दों में)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

आयु के प्रमाण के लिए—

नगर पालिका प्राधिकरण अथवा जन्म एवं मृत्यु के रजिस्ट्रार, जिला कार्यालय द्वारा जारी जन्म प्रमाण-पत्र; अथवा अंतिम विद्यालय द्वारा जारी जन्म-तिथि का प्रमाण-पत्र; अथवा अशिक्षित/अर्ध-शिक्षित आवेदक द्वारा जन्म-तिथि के संबंध में मजिस्ट्रेट/नोटरी के समक्ष संलग्न परिशिष्ट-एक में दिया गया शपथ-पत्र; अथवा पैन कार्ड; अथवा पासपोर्ट; अथवा ड्राइविंग लाइसेंस (इनमें से किसी एक प्रमाण-पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि संलग्न करें)।

4

5

6

7

8

9

10

11

12. xxxxxx

(केवल प्रासंगिक अंश उद्धृत)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(13) यदि आवेदन पत्रों में जिला या समूह क्रमांक के संबंध में कोई हेरफेर नहीं किया गया है और संबंधित अभ्यर्थियों, जिनमें याचिकाकर्ता भी सम्मिलित हैं, द्वारा किए गए प्रविष्टियों के आधार पर उनकी विधिवत जांच की गई है तथा समूह क्रमांक के उल्लेख के आधार पर उन्हें संबंधित समूह के आवेदन पत्रों के साथ मिला दिया गया है, तो यह नहीं कहा जा सकता कि कोई अवैधता की गई है। क्योंकि अंततः आवेदन पत्रों का वर्गीकरण उनके विषय-वस्तु के आधार पर किया जाना था, न कि इस आधार पर कि आवेदन पत्र किस काउंटर पर जमा किए गए थे, विशेषकर जब वह काउंटर उस समूह के लिए निर्धारित न हो, जिसके लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था। प्रकरण के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर समुचित विचार करने के उपरांत, हमारा यह मत है कि प्रथम चार्ट दिनांक ... (आगे पाठ अधूरा है)।रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 1599; 1790; 1791; 1792 एवं 1793 सन् 2011 दिनांक 28.2.2011 के चार्ट में हुई त्रुटि का समुचित रूप से स्पष्टीकरण दे दिया गया है और

केवल ऐसी त्रुटि के आधार पर, अन्य आरोपों के प्रमाण के अभाव में, संपूर्ण चयन प्रक्रिया को दूषित (विधिविरुद्ध) नहीं माना जा सकता।

(14) रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 1790; 1791; 1792 एवं 1793 सन् 2011 के याचिकाकर्ताओं ने लाइसेंसधारकों के चयन हेतु लॉटरी ड्रॉ प्रणाली को निरस्त किए जाने की भी प्रार्थना की है। लॉटरी ड्रॉ प्रणाली लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा स्वयं गढ़ी गई व्यवस्था नहीं है। उपरोक्त प्रणाली छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक II सन् 1915) की धारा 62 की उपधारा (2) के खंड (d), (e), (t), (g) एवं (h) तथा उपधारा (3) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाए गए छत्तीसगढ़ आबकारी देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री हेतु लाइसेंसों के निपटान के नियम, 2002 के प्रावधानों के अनुसार वैधानिक है। ये नियम राज्य सरकार द्वारा बनाए गए हैं। उक्त नियमों के नियम 8 (c) एवं (c-1) इस प्रकार हैं :—

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(c) नियम 6 के अंतर्गत आवेदन पत्र, निर्धारित आवेदन शुल्क के साथ, देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर दुकान/समूह के लाइसेंस के अनुदान हेतु, आबकारी आयुक्त द्वारा निर्धारित प्रपत्र में, निर्धारित तिथि एवं समय के भीतर संबंधित जिले के लाइसेंसिंग प्राधिकारी को प्रस्तुत किया जाएगा।

(c-1) कंप्यूटर द्वारा लॉटरी के माध्यम से चयन समिति द्वारा देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर दुकान/समूह के लिए चयनित प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय आवेदक को अगले दिन कार्यालयीन समय में, निर्धारित प्रपत्र में नोटरी द्वारा सत्यापित शपथ-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(15) इन नियमों के अनुसार, लाइसेंसधारक का चयन लॉटरी प्रणाली द्वारा किया जाता है। जब तक इन नियमों की वैधता/संवैधानिकता कोरिट याचिका (सिविल) क्रमांक 1599; 1790; 1791; 1792 एवं 1793 सन् 2011

यदि इन नियमों को चुनौती नहीं दी गई है और उन्हें विधि-विरुद्ध घोषित नहीं किया गया है, तो केवल सामान्य/आकस्मिक रूप से लॉटरी प्रणाली को निरस्त करने से संबंधित राहत, जैसा कि इन याचिकाओं में माँगी गई है, बिना नियमों की वैधता (वायरस) को चुनौती दिए, प्रदान नहीं की जा सकती।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(16) मेरठ विकास प्राधिकरण बनाम एसोसिएशन ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ एवं अन्य तथा अन्य संबद्ध प्रकरण, (2009) 6 एससीसी 171 में, सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि राज्य/सरकार द्वारा सार्वजनिक संपत्ति के निपटान अथवा अनुदान एवं लाभ (लार्जेस) के वितरण में, निविदा प्रक्रिया में भाग लेने वाले बोलीदाताओं को समानता एवं निष्पक्ष व्यवहार के अधिकार के अतिरिक्त कोई अन्य अधिकार प्राप्त नहीं होता।

(17) ज़ेनिट मेटाप्लास्ट प्राइवेट लिमिटेड बनाम महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य, (2009) 10 एससीसी 388 में, सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा कि—

“राज्य अथवा उसकी संस्थाओं की प्रत्येक कार्रवाई न केवल निष्पक्ष, वैध एवं पारदर्शी होनी चाहिए, बल्कि उसमें किसी प्रकार का पक्षपात या विरोधभाव भी नहीं होना चाहिए। वह न तो भेदभाव का संकेत दे और न ही पक्षपात, कृपापात्रता अथवा भाई-भतीजावाद का आभास तक दे। अत्यधिक

जल्दबाजी में किया गया कोई भी कार्य मनमाना कहा जा सकता है और विधि में स्वीकार्य नहीं है। सार रूप में, यदि राज्य अथवा उसकी किसी संस्था की कार्रवाई/आदेश में सद्भावना (बोना फाइड्स) का अभाव है, तो वह शक्ति के अनुचित प्रयोग का मामला होगा और वह दूषित माना जाएगा। विधि का शासन (रूल ऑफ लॉ) लोकतांत्रिक समाज की आधारशिला है। निर्णय ज्ञात सिद्धांतों एवं नियमों के अनुप्रयोग द्वारा किया जाना चाहिए और सामान्यतः ऐसा निर्णय संभावित और प्रतयाशित होना चाहिए ताकि नागरिक यह जान सके कि उसकी स्थिति क्या है; किंतु यदि कोई निर्णय बिना किसी सिद्धांत के या बिनारिट याचिका (सिविल) क्रमांक 1599; 1790; 1791; 1792 एवं 1793 सन् 2011 किसी भी नियम के बिना लिया गया कोई निर्णय अनिश्चित होता है और ऐसा निर्णय विधि के शासन के अनुरूप लिए गए निर्णय के विपरीत होता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(18) उपर्युक्त निर्णयों एवं नियमों के आलोक में हमने सभी पहलुओं पर विचार किया है और हमें यह नहीं प्रतीत होता कि वर्तमान प्रकरण ऐसे हैं जिनमें रिट याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाए गए आधारों पर हस्तक्षेप किए जाने की आवश्यकता हो। याचिकाकर्ता मनमानी, अवैधता अथवा भेदभाव का कोई भी मामला सिद्ध करने में पूर्णतः असफल रहे हैं।

(19) उपर्युक्त कारणों से हमें रिट याचिकाओं में कोई दम नहीं दिखाई देता। अतः रिट याचिकाएँ निरस्त किए जाने योग्य हैं और इन्हें एतद्वारा निरस्त किया जाता है।

(20) व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया जा रहा है।

सही-

सुनील कुमार सिन्हा

न्यायाधीश

सही-

राधे श्याम शर्मा

न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

Translated By Adv. ISHAN SHARMA